मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
नं0 1, तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्याः डीजी– 20 दिनांकः मार्च 30 , 2015

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश ।

आप सब अवगत हैं कि कल 5 कालीदास मार्ग, लखनऊ पर मा0 मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट के अन्य सम्मानित सदस्य तथा मा0 सांसद सुश्री डिम्पल यादव एवं अन्य प्रमुख–प्रमुख महिला हस्तियों ने प्रदेश में एसिड से जलाई गई 60 महिलाओं में से 51 को तीन–तीन लाख की धनराशि दी जिससे कि वे अपना इलाज करा सकें क्योंकि आप सभी सहमत होंगे कि इसमें लगातार बहुत धनराशि व्यय होती है, कई–कई आपरेशन होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है तथा इन महिलाओं और बच्चियों को अत्यधिक मानसिक वेदना/प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है । शासन के द्वारा एक यह नयी पहल की गयी है जिसमें हम सभी को भागीदार बनना चाहिये तथा जनपद में रह रही प्रत्येक एसिड से जलायी गई महिला की सुरक्षा, उनको किनसे खतरा है, कौन उनको धमका रहे हैं, कौन–कौन अपराधी बाहर घूम रहे हैं तथा केस में समझौते का दबाव बना रहे हैं इन सब पर फौरी कार्यवाही करनी चाहिये । मा0 मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश मुझे दिये हैं कि जितनी महिलायें/बच्चियॉ आयी हैं उनकी समस्यायें सुनी जांय, पुलिस क्या–क्या कर सकती है, क्या–क्या करना है इस सबकी वृहद समीक्षा कर लें तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये पूरे प्रदेश में कड़े कदम उठाये जांय । मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश के पुलिस बल की तरफ से आश्वस्त किया है कि प्रत्येक घटना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये हम उस पर कार्यवाही करेंगे तथा भविष्य में ऐसी घटना कहीं पर घटित होती है तो ऐसे अभियुक्तों के विरूद्ध ऐतिहासिक कार्यवाही होगी तथा उनको गैंगस्टर एक्ट एवं रासुका में भी निरूद्ध करायेंगे ।

2– मैने जिन महिलाओं से कल बात की उनमें से बहुतों ने अपनी परेशानियां बताई हैं जिनको आपको लिखकर प्रेषित किया जा रहा है । प्रत्येक घटना की समीक्षा सुश्री सुतापा सान्याल, अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ कर रही हैं तथा वे आपको इस सम्बन्ध में समय–समय पर समुचित निर्देश भी देंगी तथा उनको भी आपके द्वारा संज्ञान में लिया जाय । मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि कहीं पर भी पुलिस की लापरवाही दिखी, पुलिस के द्वारा ऐसी महिलाओं/बच्चियों की मदद न करके अभियुक्तों का साथ दिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, उनसे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा है तो ऐसे सभी प्रकरणें में इस मुख्यालय से कठोर कार्यवाही के लिये विवश होना पड़ेगा । मैं आप सभी को यह स्पष्ट आदेश दे रहा हूँ कि एसिड से

जलायी गयी महिला/बच्ची के हर प्रकरण की समीक्षा आप स्वयं करेंगे तथा अपने अधीनस्थों पर नहीं छोड़ेंगे तथा यदि कोई महिला या बच्ची आपसे शिकायत करती है या थाने पर शिकायत करती है कि उसको अमुक व्यक्ति एसिड फेंककर उसका मुंह जलाने की धमकी दे रहा है तो ऐसे प्रकरणों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मुकदमे लिखने में कतई भी कोताही नहीं बरती जाय तथा पुलिस की थोड़ी सी भी चूक किसी महिला या बच्ची के लिये घातक सिद्ध हो सकती है । मैं प्रत्येक महिला/बच्ची, जो लखनऊ आयी थी जिसे जनपदवार आपको लिखकर प्रेषित करा रहा हूँ कि उन्होंने क्या–क्या आप बीती सुनायी जिसको सुनकर कतई भी अच्छा नहीं लगा । ईश्वर ने हमें और आपको यह मौका दिया है कि हम ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, उनका दुःख–दर्द बांटे तथा प्रयास करें कि अभियुक्त लम्बे समय तक जेल में रहे तथा उनका ट्रायल शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ हो जाय ।

3– अपने–अपने जनपदों में ऐसे केस छंटवा लें जिन पर एसिड फेंका गया है, उनकी सूचियां बनवा लें जिससे आपकी जानकारी में रहे कि कौन आततायी हैं जिससे कि आप उनसे सख्ती से निपट सकें ।

4– महिला सम्मान कोष का गठन हुआ है तथा इसी प्रकार की और भी योजना भविष्य में होंगी । कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब भी ऐसी महिला लखनऊ आये अथवा उसको धनराशि दी जाय तो उसकी पुलिस के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिये तथा वह खुलकर कहे कि पुलिस उसका पूरा साथ दे रही है । मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इसे एक मुहिम के रूप में लेंगे व अपने–अपने जनपदों में इस ओर ऐतिहासिक कार्य करेंगे ।

संलग्नक: यथोक्त।

20.3.15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि (1) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

दिनांक 29–3–15 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ महोदय के समक्ष उपस्थित होकर तेजाब हमले की शिकार पीड़िता द्वारा की गई शिकायातें निम्नवार है।

क0सं0	जनपद	पंजीकृत अभियोगों का विवरण	पीड़िता का नाम/पता एवं उम्र	पीड़िता की समस्या
01	जौनपुर	मु0अ0सं0 268/2014 दि0 12–06–14	सन्नू सोनकर पुत्री महेन्द्र सोनकर नि0 जमालपुर थाना रामपुर जनपद जौनपुर	अभियुक्त जमानत पर बाहर है, धमकी दे रहा है।
02	इलाहाबाद	मु0अ0सं0 134/13 दि0 06–05–13	बृजरानी देवी पुत्री उमाशंकर नि0 विरबल थाना घूरपुर जनपद इलाहाबाद	अभियुक्त मंजू निषाद धमकी दे रहा है।
03	प्रतापगढ़	मु0अ0सं0 19/13 दि0 04–04–13	रीना पाल पुत्री रघुनाथ पाल नि0 रजवापुर थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ। घटना– थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ।	जमानत पर बाहर है, धमकी दे रहा है।
04	बुलन्दशहर	मु0अ0सं0 711/13 दि0 26–09–13	गीता पुत्री इन्द्रपाल नि0 नत्थूगढ़ी थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर	स्थानीय पुलिस की शिकायत की गई है।
05	बुलन्दशहर	मु0अ0सं0 796/13 दि0 26–07–13	निशा शर्मा पुत्री छेदीलाल नि0 जिरौली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर	तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभियुक्त धमकी दे रहे है।
06	मु0नगर	मु0अ0सं0 1314/14 दि0 01–11–14	श्रीमती शाहिस्ता प्रवीण पत्नी फजलू रहमान नि0 लददावाला थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफरनगर।	अभियुक्त धमकी दे रहे है।
07	मुजफरनगर	मु0अ0सं0 19/15 दि0 08–01–15	श्रीमती ताजरीयान पुत्री रिजवान नि0 ग्राम खुड्डा थाना छपार, मुजफरनगर	फैसले का दबाव बना रहे है व स्थानीय पुलिस उनका पक्ष ले रही है।
08	बरेली	मु0अ0सं0 08/14 दि0 12–01–14	कुमारी रूखसार पुत्री मुसब्बिर हुसैन नि0 रिछौला किफायतुल्लाता थाना नवाबगंज जनपद बरेली।	जेल से धमकी देता है व राजी नामा का दबाव स्थानीय पुलिस बना रही है।
09 ✓	बरेली	मु0अ0सं0 462/14 दि0 27–11–14	मुस्कान देवी(सभासद)पत्नी सोनू नि0 मो0 परा फरीदपुर जनपद बरेली।	आरोपी नरेश पाल गुप्ता गिरफ्तार नहीं हुआ है तथा दूसरे आरोपी रामदास की पत्नी ओमवती के माध्यम से प्रार्थनी के

				पति पर झूठा मुकदमा कराया गया है आरोपी लगातार धमकी दे रहे है।(प्रा0पत्र संलग्न)
10	अमरोहा	मु0अ0सं0 438/14 दि0 21–08–14	कुमारी सना पुत्री शमीम निवासिनी नौगजा थाना अमरोहा जनपद अमरोहा	घर वाले परेशान करते है व फहीम अहमद बड़ा भाई व उसकी पत्नी मुकदमें में फैसले दबाव बना रहे है।
11	बिजनौर	मु0अ0सं0 45/14 दि0 09–02–14	कुमारी नाहिदा एवं कुमारी शाहीन पुत्री नजाकत हुसैन नि0 सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर उम्र–16,20	अभियुक्त जेल से शादी में बवाल की धमकी देते है, दि0 18–05–15 को शादी होने वाली है।
12	आगरा	मु0अ0सं0 895/13 दि0 18–06–13	श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री रामचरन नि0 38/43 गोपालपुरा ग्वालियर रोड थाना सदर बजार जनपद आगरा।	चार अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए व धमकी देते है।
13	आगरा	मु0अ0सं0 789/13 दि0 27–07–13	मंजू पुत्री श्री राजेश नि0 नगला वरी थाना रसुलपुर जनपद फिरोजाबाद	पति जेल से धमकी देता है डर है जेल से बाहर निकलेगा तो कोई घटना न घटित करें।
14	अलीगढ़	मु0अ0सं0 1032/14 दि0 17–07–14	प्रिया शर्मा केयर ऑफ अनिल कुमार शर्मा नि0 संजय गाँधी कालोनी रावण टीला थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।	मा0 हाईकोर्ट में जमानत लम्बित है व स्थानीय पुलिस सहयोग करती है, जमानत पर छूटने पर मुझे खतरे की आशंका है।
15 ✓	मुरादाबाद	मु0अ0सं0 540/14 दि0 22–07–14	श्रीमती किरन देवी पत्नी राज कुमार नि0 होली का मैदान थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र–32 वर्ष	पीड़िता ने मुकदमें में विवेचक को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।(प्रार्थना पत्र संलग्न)

क0सं0	जनपद	पंजीकृत अभियोगों का विवरण	पीड़िता का नाम/पता एंव उम्र	पीड़िता की समस्या
16	हाथरस	मु0अ0सं0 592/14 दि0 23.06.2014	कु0 आसमा पुत्री नबाब नि0मो0 दमदमा कस्बा व थाना सिकन्दरारऊ जनपद एटा, हाथरस।	अभियुक्त जेल में निरूद्व है,बाहर निकलने पर परेशान करेंगे।
17	आगरा	मु0अ0सं0 613/13 दि0 05.07.2013	कु0 डौली पुत्री श्री शिवशंकर नि0 सुलतानगंज की पुलिया थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।	राजीनामा के लिए धमकी देना।
18	बिजनौर	मु0अ0सं0 69/14 दि0 12.02.2014	कु0 अंशू पुत्री गजराज सिंह निवासिनी आदिबनगर धुधली थाना स्योहरा जनपद बिजनौर	अभियुक्त जेल में है तथा राजीनामा के लिए दबाव डाल रहे है।
19	पीलीभीत	मु0अ0सं0 514/13 दि0 16.08.2013	शाहाना बेगम पत्नी शफीक अहमद नि0 ग्राम बारन बाडा थाना जहॉनाबाद जनपद पीलीभीत।	अभियुक्तों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि केस वापस ले लो नही तो (दोनों लडकों) को जेल में डलावा दूॅगा।
20	मथुरा	मु0अ0सं0 123/13 दि0 11.04.2013	श्रीमती सुधा पत्नी हेमराज सिंह पुत्री छोटे सिंह नि0 जरारा थाना सुरीर जनपद मथुरा।	पडोसी परेशान कर रहा है।
21	बस्ती	मु0अ0सं0 1245/13 दि0 31.12.2013	कु0 गुडिया पुत्री जयप्रकाश नि0आमाशुक्ल थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती। उम्र 21 वर्ष	तीनों अभियुक्त जेल में है और बाहर निकलने पर पूरे परिवार को बर्वाद करने की धमकी दे रहे है।
22	लखनऊ	मु0अ0सं0 252/13 दि0 12.08.2013	रेशमा पुत्री मो0यासीन नि0 बगला नं0 68 कैन्ट थाना कैन्ट जनपद कानपुर नगर उम्र 33 वर्ष घटना थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ।	पीडिता की 05 बच्चियॉं है। पति जेल में है और जेल से धमकी दे रहा है। बच्चों को उसके संरक्षण में दिया जाय।